Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ ए.सी.बी द्वारा गठित एसआईटी द्वारा आज जल जीवन मिशन में हुए हजारो करोडों के भ्रष्टाचार मामले में श्री सुबोध अग्रवाल (सेवानिव्त्त आईएएस) को गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, 09 अप्रेल, 2026। जल जीवन मिशन में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में एसीबी ब्यूरो में दर्ज **प्रकरण संख्या 245/2024** में आरोपी श्री सुबोध अग्रवाल सेवानिव्त्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को आज दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर गिरफ्तार किया गया हैं एवं अग्रिम अनुसंधान जारी हैं।

प्रकरण संख्या 245/2024 के अनुसंधान से फर्म मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कम्पनी प्रोपराईटर श्री महेश मित्तल व फर्म मैसर्स श्री श्याम ट्यूबैवल कम्पनी प्रोपराईटर श्री पदमचन्द जैन द्वारा इरकॉन इन्टरनेशनल लि० के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर राजस्थान राज्य में उपरोक्त दोनों फर्मों के नाम जारी विभिन्न टेण्डरों में इरकॉन इन्टरनेशनल लि. के फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लगाकर करीब **960 करोड रूपये** के टेण्डर प्राप्त कर करोडो रूपयों का भ्रष्टाचार करना प्रकट हुआ इसके अतिरिक्त श्री सुबोध अग्रवाल तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी एवं अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा आपराधिक मंशा से मेजर प्रोजेक्टस (50 करोड रूपये से उपर) की निविदाओं में साइट विजिट प्रमाण–पत्र की बाध्यता को नियमो के विरूद्ध निविदा में शामिल कर बोली दाताओ की पहचान को उजागर कर टेण्डर पुलिंग करने के फलस्वरूप 30 से 40 प्रतिशित तक अप्रत्याशित उंचे टेण्डर प्रीमियम प्राप्त हुए, जिनका पीएचईडी के अधिकारियो द्वारा अनुमोदन कर व्यापक स्तर पर पद का दुरूपयोग करना प्रमाणित हुआ है। इन टेंडर की कुल राशि लगभग 20 हजार करोड़ रूपये है।

प्रकरण में 10 **आरोपीगण दिनेश गोयल हाल मुख्य अभियन्ता प्रशासन, के. डी. गुप्ता हाल मुख्य अभियन्ता ग्रामीण, सुभांशु दीक्षित, तत्कालीन सचिव आरडब्लयूएसएसएमची हाल अति. मुख्य अभियन्ता, जयपुर क्षेत्र–द्वितीय, सुशील शर्मा हाल वितीय सलाहकार अक्षय उर्जा, निरिल कुमार हाल मुख्य अभियन्ता चुरू,**

विशाल सक्सेना अधिशाषी अभियन्ता हाल निलम्बित, अरूण श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हाल सेवानिवृत, श्री डी. के. गौड तत्कालीन मुख्य अभियन्ता व तकनीकी सदस्य हाल सेवानिवृत, महेन्द्र प्रकाश सोनी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता हाल सेवानिवृत्त एवं मुकेश पाठक प्राईवेट व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण में तीन फरार आरोपीगण श्री मुकेश गोयल तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, श्री जितेन्द्र शर्मा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं श्री संजीव गुप्ता प्राईवेट व्यक्ति के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी हेतु स्थायी वारण्ट जारी किये है तथा उक्त तीनों आरोपीगणों को उद्घोषित अपराधी घोषित करवाये जाने एवं उनकी सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पांच अन्य आरोपीगण को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की हुई है

अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से विस्तृत पूष्ठताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी हैं।

प्रकरण में त्वरित प्रभावी अनुसंधान हेतु **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** एवं **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के निर्देशन में गठित एसआईटी द्वारा प्रकरण में तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से विश्लेषण किया गया।